न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना(अलवर)

पीठासीन अधिकारी :— मुकुट सिंह (आर.ए.एस.)

दावा संख्या 22/2016 | रजू दिनांक 01.02.2016 | निर्णय दिनांक 10.07.2023

उनवान

1. नानगपालसिंह पुत्र लखनसिंह उर्फ लखसिंह जाति राजपूत निवासी चावण्डी तह0 नीमराना।
2. सत्यपालसिंह पुत्र लखनसिंह उर्फ लखसिंह जाति राजपूत निवासी चावण्डी तह0 नीमराना।
3. कर्मपालसिंह पुत्र लखनसिंह उर्फ लखसिंह जाति राजपूत निवासी चावण्डी तह0 नीमराना।
4. अनंगपालसिंह पुत्र लखनसिंह उर्फ लखसिंह जाति राजपूत निवासी चावण्डी तह0 नीमराना।

:—वादीगण।

बनाम

1. कंवरसिंह पुत्र रघुवीर जाति अहीर निवासी ग्राम चावण्डी तह0 नीमराना।
2. लालचन्द पुत्र रघुवीर जाति अहीर निवासी ग्राम चावण्डी तह0 नीमराना।
3. सुबेसिंह पुत्र साधुसिंह उर्फ शादीराम जाति अहीर निवासी ग्राम चावण्डी तह0 नीमराना।
4. देशराज पुत्र सुबेसिंह जाति अहीर निवासी ग्राम चावण्डी तह0 नीमराना।
5. सोमदत पुत्र यादराम जाति अहीर निवासी ग्राम चावण्डी तह0 नीमराना।
6. सत्यवीर पुत्र यादाराम जाति अहीर निवासी ग्राम चावण्डी तह0 नीमराना।
7. महेन्द्रसिंह पुत्र यादराम जाति अहीर निवासी ग्राम चावण्डी तह0 नीमराना।
8. प्रवेश कुमार पुत्र यादराम जाति अहीर निवासी ग्राम चावण्डी तह0 नीमराना।
9. नीरसिंह पुत्र सुजान जाति अहीर निवासी ग्राम चावण्डी तह0 नीमराना।
10. ईश्वरसिंह पुत्र सुजान जाति अहीर निवासी ग्राम चावण्डी तह0 नीमराना।
11. पप्पू उर्फ राजेन्द्र पुत्र सुजान जाति अहीर निवासी ग्राम चावण्डी तह0 नीमराना।
12. सुरेन्द्र पुत्र ओमप्रकाश जाति अहीर निवासी ग्राम चावण्डी तह0 नीमराना।
13. मनोज पुत्र ओमप्रकाश जाति अहीर निवासी ग्राम चावण्डी तह0 नीमराना।
14. अनिल पुत्र ओमप्रकाश जाति अहीर निवासी ग्राम चावण्डी तह0 नीमराना।
15. सावत्री पत्नी ओमप्रकाश जाति अहीर निवासी ग्राम चावण्डी तह0 नीमराना।
16. कौशलया पुत्री सुजान जाति अहीर निवासी ग्राम चावण्डी तह0 नीमराना।
17. लाली पुत्री सुजानप जाति अहीर निवासी ग्राम चावण्डी तह0 नीमराना।
18. मुकेश पुत्री ओमप्रकाश जाति अहीर निवासी ग्राम चावण्डी तह0 नीमराना।
19. उपपंजीयक मॉढण।
20. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर अलवर।
21. तहसीलदार,नीमराना।

:—

प्रतिवादीगण।

दावा इस्तकरार हक व दुरूस्ती इन्द्राजात एंव हु0ई0दवामी अन्तर्गत धारा 88,89,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम।

उपस्थिती:— 1 श्री विजय प्रकाश शर्मा एड0 वादीगण की ओर से।
2 प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।

—::निर्णय::—

री
)
त्रावली पेश हुई। दावा के सूक्ष्म वृतांत निम्न प्रकार से है—

ld/2023

1. वादीगण ने वाद पेशकर निवेदन किया कि साबिक आराजी ख.नं. 71/12-15, 98/12-10 जिनके हाल ख.नं0 220/03.13, 221/0.83, 222/0.82, 223/0.83, 224/0.91 वाके ग्राम चावण्डी तह0 नीमराना बने है।
2. साबिक ख.नं. 71/12-15 बिस्वा जिसके हाल ख.नं. 220/03.13 कायम हुये है। वादीगण की कब्जे काश्त की आराजी है। साबिक रकबे के अनुसार ही मौके पर काबिज काश्त है,तथा साबिक ख.नं. 98/12-10 जिसके हाल ख.नं. 221/0.83, 222/0.82, 223/0.83, 224/0.81 बने है प्रतिवादीगण प्रति.सं. 01 लगा. 18 की खातेदारी की आराजी है। बंदोबस्त विभाग संवत 2042 मे वादीगण के साबिक ख.नं. 71/12-15 के हाल ख0नं. 220/03.13 कायम करते हुये बेजा तौर पर 6 एयर रकबा कम करते हुये प्रतिवादीगण 01 लगा. 18 की खातेदारी साबिक ख.नं. 98/12-10 बिस्वा के हाल ख.नं. 220/03.13, 221/0.83, 222/0.82, 223/0.83, 224/0.91 मे सामिल कर दिया जो खिलाफ कानून खिलाफ मौका व साबिक रिकॉर्ड के है। उक्त बेजा इन्द्राज हकूक वादीगण के बातिल व बेअसर करार दिया जाकर प्रति0 की उक्त आराजी मे से 06 एयर रकबा कम किया जाकर वादीगण के हाल ख.नं. 220/03.13 मे सामिल किया जा कर रकबा 03.19 एयर दर्ज किया जाकर इसी प्रकार राजस्व रिकॉर्ड मे दुरूस्ती किया जाना न्यायसंगत है।
3. प्रतिवादीगण उक्त गलत इन्द्राज के आधार पर आराजी विवादित को दिगर जगह बेचान करने पर आमादा है,इसलिए प्रतिवादीगण को हु0ई0दवामी से पाबंद किया जाना न्यायसंगत है ।
4. अन्त में वादीगण ने अपने वाद को निम्न प्रकार डिक्री किए जाने की प्रार्थना की हैः-
(क) डिक्री इस्तकरार हक व दुरूस्ती इन्द्राजात इस अमर की जारी की जावे कि वादीगण की खातेदारी की आराजी साबिक ख.नं. 71/12-15 बिस्वा वाकें ग्राम चावण्डी का हाल बदोंबस्त संवत 2042 मे कर्मचारियों ने हाल ख0नं0 220/03.13 कायम कर हम वादीगण की आराजी का बेजा तौर से 06 एयर रकबा रिकॉर्ड मे कम दर्ज कर दिया व इस 06 एयर रकबा को बेजा तोर पर प्रति0 की खातेदारी साबिक ख.नं. 98/12-10 बिस्वा को हाल ख.नं. 220/03.13, 221/0.83, 222/0.82, 223/0.83, 224/0.91 वाके ग्राम चावण्डी कायम कर, मे साबिक कर दिया जो खिलाफ मौका व खिलाफ साबिक रिकॉर्ड के है। हकूक वादीगण के विरूद्व बातिल व बेअसर करार दिया जा कर प्रतिवादीगण के हाल ख.नं. मे से 06एयर रकबा कम किया जाकर वादीगण के हाल ख.नं. 220/03.13 मे सामिल किया जाकर वादीगण की आराजी हाल ख0नं0 220 का रकबा 03.13 के बजाय 03.19 दर्ज किया जा कर इसी प्रकार राजस्व रिकॉर्ड मे दुरूस्ती की जावे।घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज कराया जावें।

(ख) डिक्री हु0ई0दवामी इस आशय की फरमाई जावे कि प्रतिवादीगण गलत इन्द्राजात के आधार पर आराजी विवादित को दिगर जगह बेचान ना करे तथा ना ही वादीगण के कब्जे काश्त मे किसी प्रकार की मजाहमत पैदा करे मौका व रिकॉर्ड की ताफैसला दाव व मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

(ग) खर्चा मुकदमा वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावे।

(घ) अन्य अनुतोष जो न्यायालय श्रीमान उचित समझे सादीर फरमाया जावे।

5. दावा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिए सम्मन तलब किया गया । बाद तामिल प्रतिवादीगण न्यायालय हाजा मे उपस्थित नही हुये लिहाजा उनके विरूद्व दिनांक 14.09.2022 को एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादीगण नियत की गई। वादीगण की ओर से साक्ष्य मे नानगपालसिंह पुत्र लखनसिंह का शपथ पत्र पी0डब्लू0 01, सत्यपालसिंह पुत्र लखनसिंह का शपथ पत्र पी0डब्लू0 02, कंवरपालसिंह पुत्र शहजादसिंह का शपथ पत्र पी0डब्लू0 03 के पेश किये है तथा दस्तावेजी साक्ष्य मे नकल जमाबंदी संवत 2071-74 प्रदर्श 01, 02, 03,04, नकल मिलान क्षेत्रफल संवत 2042 प्रदर्श 05, नकल नक्शा ट्रैस हाल प्रदर्श 06, नकल नक्शा साबिक प्रदर्श 07, नकल जमाबंदी भू प्रबंध विभाग संवत 2020 प्रदर्श 08, 09, 10 नकल जमाबंदी संवत

कारी
नवर)

2030–33 प्रदर्श 11, 12 नकल जमाबंदी संवत 2047–50 प्रदर्श 13, 14, 15,16, 17, नकल नोटिस 80 सी0पी0सी0 प्रदर्श 18 रसीद पोस्ट पेश किये है।

6. वकील वादीगण की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील वादी ने अपनी बहस में वाद में अंकित तथ्यों का दोहराते हुए बताया कि भू प्रबंध विभाग द्वारा बेजा तौर से वादीगण की साबिक आराजी का 06 एयर रकवा प्रतिवादीगण की हाल ख.नम्बरान मे मिला दिया जिसकी पुष्टि मे साबिक व हाल रिकॉर्ड पेश किया गया है वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावे।

7. हमने वकील वादीगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली मे प्रस्तुत नकल जमाबंदी संवत 2030–33 प्रदर्श 11 के अनुसार साबिक ख.नं. 71/12–15 बिस्वा वादीगण की खातेदारी दर्ज है। तथा नकल जमाबंदी संवत 2030–33 प्रर्दश 12 के अनुसार साबिक ख.नं. 98/12–05 बिस्वा प्रतिवादीगण की खातेदारी मे दर्ज है। नकल जमाबंदी भू प्रबंध विभाग संवत 2020 प्रदर्श 09 के अनुसार साबिक ख.नं. 71/12–15 बिस्वा वादीगण की खातेदारी मे दर्ज है। नकल मिलान क्षेत्रफल संवत 2042 प्रदर्श 05 के अनुसार साबिक ख.नम्बरान हाल ख.नं0 निम्न प्रकार कायम हुये है:–

संवत 2042	
हाल	साबिक
220/03.13	71/12–15
221/0.83	98 मिन/12–10
222/0.82	98 मिन/ –––––
223/0.83	98 मिन/ ––––
224/0.81	98 मिन/ ––––

नकल नक्शा साबिक प्रदर्श 07 के अवलोकन से साबित है कि साबिक ख.नं. 71 एंव 98 एक दूसरे से लगते हुए है तथा नक्शा ट्रेस हाल प्रदर्श 06 के अनुसार साबिक ख.नं. 71 का हाल ख.नं. 220 कायम हुआ है तथा साबिक ख.नं. 98 के हाल ख.नं. 221,222, 223, 224 कायम किये गये है जो ख.नं. 220 से लगते हुये है। नकल जमाबंदी संवत 2071--74 प्रदर्श 01 के अनुसार हाल ख.नं. 220 जो वादीगण की खातेदारी मे है उसका रकवा 03.13 एयर कायम किया गया है जबकि मैट्रिक प्रणाली के अनुसार साबिक रकवा 12 बीघा 15 बिस्वा से 03.19 हैक्टर रकवा बनता है। जिससे साबित है कि भू प्रबंध विभाग द्वारा वादीगण का 06 एयर रकवा कम किया गया है। नकल जमाबंदी संवत 2071--74 प्रदर्श 02 ,03 ,04 के अनुसार प्रतिवादीगण क हाल ख.नम्बरान 221, 222, 223, 224 का कुल रकवा 03.34 हैक्टर भू प्रबंध विभाग द्वारा कायम किया गय है जबकि मैट्रिक प्रणाली के अनुसार साबिक रकवा 12 बीघा 10 बिस्वा से 03.12 हैक्टर दर्ज होना चाहिए था जिससे साबित है कि भू प्रबंध विभाग द्वारा प्रतिवादीगण का रकवा बेसी दर्ज किया गया है। तथा वादीगण का रकवा कम दर्ज किया गया है। उपरोक्तानुसार विवेचनानुसार वादीगण का वाद साबित होता है। वाद वादीगण काबिले डिक्री करारा पता है।

8. अतः आदेश है कि:–

वाद वादीगण इस्तकरार हक व दुरुस्ती इन्द्राजात बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण एक पक्षिय डिक्री किया जाकर आराजी साबिक ख.नं. 71/12–15 बिस्वा वाके ग्राम चावण्डी का हाल बदोंबस्त संवत 2042 मे कर्मचारियों ने हाल ख0नं0 220/03.13 कायम कर हम वादीगण की आराजी का बेजा तौर से 06 एयर रकवा रिकॉर्ड मे कम दर्ज किया गया है उस 06 एयर रकवा को बेजा तोर पर प्रति0 की खातेदारी साबिक ख.नं. 98/12–10 बिस्वा के हाल ख.नं. 220/03.13, 221/0.83, 222/0.82, 223/0.83, 224/0.91 वाके ग्राम चावण्डी कायम कर सामिल किया गया है जो खिलाफ मौका व खिलाफ साबिक रिकॉर्ड के है। हकूक वादीगण के विरुद्ध बातिल व बेअसर करार दिया जाता है। तथा प्रतिवादीगण के हाल ख.नं. मे से 06 एयर रकवा कम किया जाकर

री
र)
iidd/2023

वादीगण के हाल ख.नं. 220/03.13 मे सामिल किये जाने के आदेश दिये जा कर वादीगण की आराजी हाल ख0नं0 220 का रकबा 03.13 के बजाय 03.19 दर्ज किया जावे। इसी अनुसार वाद दुरूस्ती राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन कराये जाने के आदेश दिए जाते है। खर्चा वाद वादीगण स्वयं वहन करेगे। पर्चा डिक्री जारी हो, पत्रावली फैशलशुमार होकर दाखिल लेख भण्डार हो।

यह निर्णय आज दिनांक 10.7.2023 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय मे घोषित किया गया।

10/7/2023

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (अलवर)

मुकुट सिंह (आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,नीमराना

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना(अलवर)

पीठासीन अधिकारी :– मुकुट सिंह (आर.ए.एस.)

दावा संख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
22/2016	01.02.2016	10.07.2023

उनवान

1. नानगपालसिंह पुत्र लखनसिंह उर्फ लखसिंह जाति राजपूत निवासी चावण्डी तह0 नीमराना।
2. सत्यपालसिंह पुत्र लखनसिंह उर्फ लखसिंह जाति राजपूत निवासी चावण्डी तह0 नीमराना।
3. कर्मपालसिंह पुत्र लखनसिंह उर्फ लखसिंह जाति राजपूत निवासी चावण्डी तह0 नीमराना।
4. अनंगपालसिंह पुत्र लखनसिंह उर्फ लखसिंह जाति राजपूत निवासी चावण्डी तह0 नीमराना।

:—वादीगण।

वनाम

1. कंवरसिंह पुत्र रघुवीर जाति अहीर निवासी ग्राम चावण्डी तह0 नीमराना।
2. लालचन्द पुत्र रघुवीर जाति अहीर निवासी ग्राम चावण्डी तह0 नीमराना।
3. सुबेसिंह पुत्र साधुसिंह उर्फ शादीराम जाति अहीर निवासी ग्राम चावण्डी तह0 नीमराना।
4. देशराज पुत्र सुबेसिंह जाति अहीर निवासी ग्राम चावण्डी तह0 नीमराना।
5. सोमदत पुत्र यादराम जाति अहीर निवासी ग्राम चावण्डी तह0 नीमराना।
6. सत्यवीर पुत्र यादाराम जाति अहीर निवासी ग्राम चावण्डी तह0 नीमराना।
7. महेन्द्रसिंह पुत्र यादराम जाति अहीर निवासी ग्राम चावण्डी तह0 नीमराना।
8. प्रवेश कुमार पुत्र यादराम जाति अहीर निवासी ग्राम चावण्डी तह0 नीमराना।
9. नीरसिंह पुत्र सुजान जाति अहीर निवासी ग्राम चावण्डी तह0 नीमराना।
10. ईश्वरसिंह पुत्र सुजान जाति अहीर निवासी ग्राम चावण्डी तह0 नीमराना।
11. पप्पू उर्फ राजेन्द्र पुत्र सुजान जाति अहीर निवासी ग्राम चावण्डी तह0 नीमराना।
12. सुरेन्द्र पुत्र ओमप्रकाश जाति अहीर निवासी ग्राम चावण्डी तह0 नीमराना।
13. मनोज पुत्र ओमप्रकाश जाति अहीर निवासी ग्राम चावण्डी तह0 नीमराना।
14. अनिल पुत्र ओमप्रकाश जाति अहीर निवासी ग्राम चावण्डी तह0 नीमराना।
15. सावत्री पत्नी ओमप्रकाश जाति अहीर निवासी ग्राम चावण्डी तह0 नीमराना।
16. कौशलया पुत्री सुजान जाति अहीर निवासी ग्राम चावण्डी तह0 नीमराना।
17. लाली पुत्री सुजानप जाति अहीर निवासी ग्राम चावण्डी तह0 नीमराना।
18. मुकेश पुत्री ओमप्रकाश जाति अहीर निवासी ग्राम चावण्डी तह0 नीमराना।
19. उपपंजीयक मॉढण।
20. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर अलवर।
21. तहसीलदार नीमराना।

:—

प्रतिवादीगण।

दावा इस्तकरार हक व दुरूस्ती इन्द्राजात एंव हु0ई0दवामी अन्तर्गत धारा 88,89,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम।

उपस्थिती:— 1 श्री विजय प्रकाश शर्मा एड0 वादीगण की ओर से।
2 प्रतिवादीगण के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही।

दिनांक:— 10.07.2023

—::पर्चा डिक्री::—

री
र)

वाद वादीगण इस्तकरार हक व दुरूस्ती इन्द्राजात बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण एक पक्षिय डिकी किया जाकर आराजी साबिक ख.नं. 71/12—15 बिरवा वाके ग्राम चावण्डी का

हाल बदोंबस्त संवत 2042 मे कर्मचारियों ने हाल ख0नं0 220 / 03.13 कायम कर हम वादीगण की आराजी का बेजा तौर से 06 एयर रकवा रिकॉर्ड मे कम दर्ज किया गया है उस 06 एयर रकवा को बेजा तोर पर प्रति0 की खातेदारी साविक ख.नं. 98 / 12–10 विस्वा के हाल ख.नं. 220 / 03.13, 221 / 0.83, 222 / 0.82, 223 / 0.83, 224 / 0.91 वाके ग्राम चावण्डी कायम कर सामिल किया गया है जो खिलाफ मौका व खिलाफ साविक रिकॉर्ड के है। हकूक वादीगण के विरुद्ध वातिल व वेअसर करार दिया जाता है। तथा प्रतिवादीगण के हाल ख.नं. मे से 06 एयर रकवा कम किया जाकर वादीगण के हाल ख.नं. 220 / 03.13 मे सामिल किये जाने के आदेश दिये जा कर वादीगण की आराजी हाल ख0नं0 220 का रकवा 03.13 के बजाय 03.19 दर्ज किया जावे। इसी अनुसार वाद दुरुस्ती राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन कराये जाने के आदेश दिए जाते है। खर्चा वाद वादीगण स्वयं वहन करेगे।

10/7/2023

मुकुट सिंह (आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
नीमराना (अलवर)
पदेन सहायक कलक्टर,नीमराना